

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1295/2009/बांसवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मूणत ज्वैलर्स, बांसवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री के. एल. चंचावत, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 14/आरएसटी/2006-07/बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.06.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 12.05.52006 से आरोपित टर्नओवर टैक्स रूपये 3,65,263/-, सरचार्ज रूपये 54,789/- तथा ब्याज रूपये 2,84,310/- कुल रूपये 7,04,362/- के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण दिनांक 12.12.2003 को पारित किया गया। पारित कर निर्धारण आदेश में सकल टर्नओवर रूपये 14,91,05,270/- होने तथा इस पर टर्नओवर टैक्स आरोपण छूट जाने के कारण धारा 30 में दिनांक 12.05.2006 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज व सरचार्ज आरोपित किया गया।
3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी को उनके द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर विस्तृत उत्तर दिनांक 12.05.2006 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण सचेत मस्तिष्क के साथ किया




लगातार.....2

गया था। उत्तर में आगे उल्लेख किया कि ऑडिट आक्षेप के कारण नोटिस जारी किया गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी को अपने स्वयं के मस्तिष्क से कार्य करना चाहिए न कि ऑडिट के निर्देशों पर कार्य करें। कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये लागू होने वाली अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स डिवी/2001-48 दिनांक 29.03.2001 सुसंगत अधिसूचना है। व्यवहारी ने अपना नया व्यापार प्रारम्भ किया था। अधिसूचना की क्रम संख्या 7 के अनुसार व्यवहारी को रुपये 36,000/- का कर मुक्ति शुल्क जमा कराने का दायित्व था, परन्तु गलती से रुपये 54,000/- दिनांक 08.10.2002 को अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्सडिवी/2002-167 दिनांक 22.03.2002 के अनुसार जमा करा दिये गये थे, जो कि कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिये सुसंगत है न कि कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये। अपने उत्तर के साथ निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए न्यायिक दृष्टान्त सी.टी.ओ. जालौर बनाम अम्बिका सीमेन्ट उद्योग (2005) 13 टैक्स अपडेट 17 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मैसर्स अम्बिका सिमेन्ट उद्योग बनाम सीटीओ जालौर (2004) 8 टैक्स अपडेट 254 राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय प्रस्तुत किये तथा नोटिस को वेकेट करने की प्रार्थना की गई। बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने यांत्रिक तरीके से साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किया है जिसमें केवल रिक्त स्थानों को भरा गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस के क्रम में विद्वान अभिभाषक श्री के. एल. चंचावत द्वारा दिये गये विस्तृत उत्तर को पढ़ने का कष्ट नहीं किया गया। यह निर्विवादित है कि कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के संबंध में कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2003 को पारित किया गया था। टर्नओवर टैक्स भी 2001-02 के लिये भी आरोपित किया जाना था। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपने ऊपर लागू प्रावधानों के अनुसार टर्नओवर टैक्स के लिये कर मुक्ति शुल्क जमा करा दिया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर मुक्ति प्रार्थना पत्र देने के उपरांत उसे अस्वीकार करना गलत है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।


13.10.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य